

कृषि निदेशालय, बिहार

आ० संख्या-6/स्था०प्र०/ए०सी०पी०-06/16

39

/क०, पटना, दिनांक 08/01/2018

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3 एम-2-5 वे०पु० 28/00-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2003 प्रभावी तिथि 09.08.1999 के प्रभाव से बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के कर्मियों को इनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित तिथि एवं वेतनमान के अनुसार प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ की स्वीकृति प्रदान तदर्थ रूप से की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मियों का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	स्व० मो० कमरुद्दीन, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सोनो, जमुई।	09.08.1999 से 6500-10,500/- में देय है।	देय नहीं	

2. उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

3. जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनो, जमुई से वांछित साक्ष्य/प्रभाव प्राप्त होने पर फलाफल से यह प्रोन्नति प्रभावित होगी।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

क०, पटना, दिनांक- ,2018

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (शष्य) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/संबंधित कोषांगार/ जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनो, जमुई/मुख्यालय स्थित संबंधित पदाधिकारीगण/संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

क०, पटना, दिनांक- ,2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

39

क०, पटना, दिनांक-08/01/2018

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature and date: 8.1.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।